

FIRST INFORMATION REPORT
(Under Section 173 B.N.S.S)

प्रथम सूचना रिपोर्ट
(धारा 173 बी एन एस एस के तहत)

1. District (जिला): Anti Corruption Bureau, Haryana P.S. (थाना): ACB, Rohtak Year (वर्ष): 2025

FIR No. (प्र.सू.रि. सं.): 0025

Date and Time of FIR (प्र.सू.रि. की दिनांक और समय):

30/07/2025 20:55 hrs

2. S.No. (क्र.सं.)	Acts (अधिनियम)	Sections (धारा(एँ))
1	IPC 1860	120-B
2	IPC 1860	420
3	IPC 1860	467
4	IPC 1860	468
5	IPC 1860	471
6	PREVENTION OF CORRUPTION ACT, 1988	13(2)
7	PREVENTION OF CORRUPTION ACT, 1988	13(1)(c)
8	PREVENTION OF CORRUPTION ACT, 1988	13(1)d

3. (a) Occurrence of offence (अपराध की घटना):

1 Day (दिन): Intervening Days Date from (दिनांक से): 11/04/2011 Date To (दिनांक तक): 02/12/2019

Time Period (समय अवधि): Time From (समय से): 00:00 hrs Time To (समय तक): 00:00 hrs

(b) Information received at P.S. (थाना जहाँ सूचना प्राप्त हुई): Date (दिनांक): 30/07/2025 Time (समय): 20:40 hrs

(c) General Diary Reference (रोजनामचा संदर्भ): Entry No. (प्रविष्टि सं.): 023 Date and Time (दिनांक और समय): 30/07/2025 20:44 hrs

4. Type of Information (सूचना का प्रकार): Written

5. Place of Occurrence (घटनास्थल):

1. (a) Direction and distance from P.S. (थाना से दूरी और दिशा): NORTH EAST, 60 Km(s) Beat No. (बीट सं.):

(b) Address (पता): मुरथल सोनीपत,

(c) In case, outside the limit of this Police Station, then Name of P.S. (यदि थाना सीमा के बाहर है तो थाना का नाम):



District (State) (जिला (राज्य)):

6. Complainant / Informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता):

(a) Name (नाम): Insp Parmila Devi

(b) Father's/Husband's Name (पिता/पति का नाम):

(c) Date/Year of Birth (जन्म तिथि / वर्ष): 12/07/1976

(d) Nationality (राष्ट्रियता): INDIA

(e) UID No. (यूआईडी सं.):

(f) Passport No. (पासपोर्ट सं.):

Date of Issue (जारी करने की दिनांक):

Place of Issue (जारी करने का स्थान):

(g) ID Details (Ration Card, Voter ID Card, Passport, UID No., Driving License, PAN) (पहचान विवरण (राशन कार्ड, मतदाता कार्ड, पासपोर्ट, यूआईडी सं., ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड))

S. No. (क्र.सं.) ID Type (पहचान पत्र का प्रकार)

ID Number (पहचान संख्या)

(h) Occupation (व्यवसाय):

(i) Address

(पता):

S.No. (क्र.सं.)	Address Type (पता का प्रकार)	Address (पता)
1	Present Address	PS SV ACB RTK, ROHTAK, HARYANA, INDIA
2	Permanent Address	PS SV ACB RTK, ROHTAK, HARYANA, INDIA

(j) Phone number (दूरभाष सं.):

Mobile (मोबाइल सं.): 91-9485600335

7. Details of known / suspected / unknown accused with full particulars (ज्ञात / संदिग्ध / अज्ञात अभियुक्त का पूरे विवरण सहित वर्णन):

S. No. (क्र.सं.)	Name (नाम)	Alias (उपनाम)	Relative's Name (रिश्तेदार का नाम)	Present Address (वर्तमान पता)
1	श्री हंश राज मग्गु			1. 1234 गली तेली एन तिलक बाजार, दिल्ली WEST, DELHI, INDIA
2	मन्जीत बल्हारा मैनेजर			1. HSIIDC Bari Sonipat, SONIPAT, HARYANA, INDIA
3	श्री मनोज वंसल तत्कालीन सम्पदा प्रबंधक			1. HSIIDC Barhi Sonipat, SONIPAT, HARYANA, INDIA

8. Reasons for delay in reporting by the complainant / informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता द्वारा रिपोर्ट देरी से दर्ज कराने के कारण):

9. Particulars of properties of interest (संबन्धित सम्पत्ति का विवरण):

S. No. (क्र.सं.)	Property Category (सम्पत्ति श्रेणी)	Property Type (सम्पत्ति के प्रकार)	Description (विवरण)	Value (In Rs/-) (मूल्य (रु में))
------------------	-------------------------------------	------------------------------------	---------------------	----------------------------------

10. Total value of property (In Rs/-) (सम्पत्ति का कुल मूल्य (रु में)):

11. Inquest Report / U.D. case No., if any (मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट / यू.डी.प्रकरण सं., यदि कोई हो):

S. No. UIDB Number (यू.डी.प्रकरण सं.)
(क्र.सं.)

12. First Information contents (प्रथम सूचना तथ्य):

सेवा में,

पुलिस अधीक्षक,

राज्य सतर्कता एवं भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो,

रोहतक मण्डल, रोहतक।

श्रीमान् जी,

मुख्य सचिव हरियाणा सरकार चौकसी विभाग के यादि क्रमांक 32/33/2019-4 चौ0 (T) दिनांक 26.11.2019 व महानिदेशक, रा.चौ.ब्यूरो हरियाणा पंचकुला के पृ0 क्रमांक 18800/I-5/SVB (H) दिनांक 03.12.2019 व कार्यालय रा.चौ.ब्यूरो रोहतक के डायरी न. 2336 दिनांक 04.12.2019 के अनुसार श्री भुपेन्द्र शर्मा की शिकायत के आधार पर जांच क्रमांक 07 दिनांक 02.12.2019 सोनीपत पंजीकृत होकर जांच पडताल हेतु प्राप्त हुई थी।

HSIIDC के प्लॉट नं. 652, फेस-2, इंडस्ट्रियल एस्टेट, बरही (सोनीपत) की जांच पडताल अनुसार पाया है कि फर्म मालिक श्री हंश राज मग्गु 1234 गली तेली एन तिलक बाजार दिल्ली द्वारा अपनी फर्म की प्रोडक्शन दिखाने के लिए व एक्सटेंशन फीस बचाने की नीयत से फर्जी खरीद व सेल बिल तैयार किए हैं या किसी से करवाए हैं। मंजीत बल्हारा मैनेजर HSIIDC बरही द्वारा निरीक्षण के दौरान Clause 5.10 (i) of EMP-2011 की पालना पूरी करे बिना, अपने व्यक्तिगत लाभ के लिये फर्म मालिक श्री हंसराज मग्गु से मिलीभगत करके झुठी निरीक्षण रिपोर्ट तैयार करके कम्पलीशन सर्टीफिकेट के लिए सम्पदा प्रबंधक HSIIDC बरही को पेश किया जाना पाया गया है। फर्म के मालिक श्री हंसराज मग्गु द्वारा प्रस्तुत किये गये दस्तावेजों को व मंजीत बल्हारा मैनेजर द्वारा प्रस्तुत की गई रिपोर्ट को एस्टेट मैनेजर मनोज बंसल ने भी वेरीफाई करने की कोशिश नहीं की और फर्म के सम्बंधित कागजात को ओकोपेशन सर्टीफिकेट के लिए डी.टी.पी. HSIIDC को भेज दिया। उपरोक्त फर्म के असल प्रोडक्शन चालू होने बारे कोई साक्ष्य फाईल पर उपलब्ध नहीं हो पाए हैं। HSIIDC के EMP-2011 अनुसार 03 साल की एक्सटेंशन फीस लगने बारे नियम दिए गए हैं। जो नियमों अनुसार उक्त फर्म द्वारा एक साल की एक्सटेंशन फीस पहले ही HSIIDC Barhi Sonipat में जमा करवा दी जा चुकी है। दिनांक 11.04.2011 से जांच शुरू होने तक में लगने वाली एक्सटेंशन फीस लगभग 12,06,000/-रु0 का नुकसान किया जाना पाया गया है। श्री हंश राज मग्गु उपरोक्त द्वारा अपने फायदे के लिए धोखाधड़ी से फर्जी दस्तावेज तैयार करने, सरकार को समय पर प्रोडक्शन चालू ना करने पर लगने वाली एक्सटेंशन फीस के रूप में मिलने वाले सरकारी राजस्व की हानि पहुंचाने के लिए श्री हंसराज मग्गु उपरोक्त के खिलाफ धारा 420, 467, 468, 471 भा.द.स. के तहत आपराधिक मामला दर्ज किये जाने की अनुसंधा की जाती है। मंजीत बल्हारा, मैनेजर, HSIIDC Barhi Sonipat हाल एस्टेट मैनेजर, HSIIDC खरखौदा, सोनीपत तथा श्री मनोज बंसल तत्कालीन सम्पदा प्रबंधक HSIIDC Barhi Sonipat द्वारा हंश राज मग्गु से मिली भगत करके धोखाधड़ी से अपने व्यक्तिगत लाभ के लिए एवं सरकारी राजस्व का नुकसान करने के लिए झुठी प्रोडक्शन रिपोर्ट पेश करने बारे मंजीत बल्हारा व मनोज बंसल उपरोक्त ने भी धारा 420, 467, 468, 471, 120-वी भा.द.स. (उस समय प्रचलित कानून की धारा) एवं 13(1)(C), 13(1)(d) r/w 13(2) पी.सी. एक्ट 1988 का जुर्म किया है। उपरोक्त व्यक्तियों के खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज किये जाने की संस्तुति करके रिपोर्ट पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, रोहतक मण्डल रोहतक के पत्र क्रमांक 1323 दिनांक 20.06.2024 अनुसार अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, हरियाणा पंचकुला को भेजी गई। अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, हरियाणा पंचकुला के पृ0 क्रमांक 14168/आई-5/ए.सी.बी. (ह0) दिनांक 18.07.2025 व पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, रोहतक मण्डल, रोहतक के डायरी क्रमांक 2530 दिनांक 21.07.2025 अनुसार श्री हंश राज मग्गु, मंजीत बल्हारा व मनोज बंसल उपरोक्त के खिलाफ धारा 420, 467, 468, 471, 120-वी भा.द.स. (उस समय प्रचलित कानून की धारा) एवं 13(1)(C), 13(1)(d) r/w 13(2) पी.सी. एक्ट 1988 के तहत अभियोग पंजीकृत किये जाने की अनुमति प्राप्त हो चुकी है। अभियोग पंजीकृत करके अफसरानवाला को बजरिया टेलीफोन, ई-मेल द्वारा सूचित किया जाये व स्पेशल रिपोर्ट ईलाका मजिस्ट्रेट साहब को भेजी जाये। हस्ता अंग्रेजी Parmila Insp

(प्रमिला), निरीक्षक,
राज्य सतर्कता एवं भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो,
रोहतक मण्डल, रोहतक।

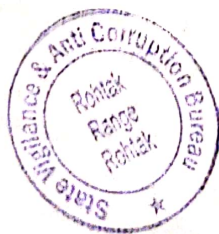
अज थाना- हस्ब आमदा तहरीर पर मुकदमा नम्बर 25 दिनांक 30.07.2025 धारा 420, 467, 468, 471, 120-वी भा.द.स एवं 13 (1) (c), 13(1) (d) r/w 13 (2) पी.सी.एक्ट 1988 राज्य सतर्कता एवं भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो रोहतक दर्ज रजिस्टर किया जाकर अफसरान बाला व ड्युटी मैजिस्ट्रेट साहब सोनीपत को बजरीया ई-मेल द्वारा सूचना दी गई। नकल मिशेल पुलिस मय असल तहरीर मय सम्बन्धित कागजात पुलिस अधीक्षक राज्य सतर्कता एवं भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो रोहतक द्वारा नियुक्त अनुसंधान अधिकारी सी0डी0सी0 महिला निरीक्षक उषा रानी न0 401/सोनीपत राज्य चौकसी एवं भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो उपकेन्द्र सोनीपत के हवाले की जाएगी उपरोक्त मुकदमा प्रबन्धक अफसर थाना के कोड से निरीक्षक भगति सिंह न0 560/RR की हाजरी में दर्ज रजिस्टर किया गया है।

13. Action taken: Since the above information reveals commission of offence(s) u/s as mentioned at Item No. 2.
(की गयी कार्यवाही : चूंकि उपरोक्त जानकारी से पता चलता है कि अपराध करने का तरीका मद सं. 2 में उल्लेख धारा के तहत है.):

- (1) Registered the case and took up the investigation (प्रकरण दर्ज किया गया और जांच के लिए लिया गया): / or (या)
- (2) Directed (Name of I.O.) (जांच अधिकारी का नाम): Usha Rani Rank (पद): SI (Sub-Inspector) No. (सं.): 401SPT to take up the Investigation (को जांच अपने पास में लेने के लिए निर्देश दिया गया) or (या)
- (3) Refused investigation due to (जांच के लिए): or (के कारण इंकार किया या)
- (4) Transferred to P.S. (थाना): District (ज़िला):
- on point of jurisdiction (को क्षेत्राधिकार के कारण हस्तांतरित).

F.I.R. read over to the complainant / informant, admitted to be correctly recorded and a copy given to the complainant / informant, free of cost. (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता को प्राथमिकी पढ़ कर सुनाई गयी, सही दर्ज हुई माना और एक कॉपी निशुल्क शिकायतकर्ता को दी गयी)

R.O.A.C.
(आर.ओ.ए.सी.)



14. Signature / Thumb impression of the complainant / informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता के हस्ताक्षर / अंगूठे का निशान)

Signature of Officer in charge, Police Station (थाना प्रभारी के हस्ताक्षर)

Name (नाम): Bhagat Singh

Rank (पद): Inspector (निरीक्षक)
Police)

No. (सं.): 560/RA